[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

### GOVERNMENT OF INDIA

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### Notification

- **G.S.R.** \_\_\_\_**(E).** In exercise of the powers conferred by sections 173, 177, 178 and section 186 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, in rule 15, in sub-rule (3), in clause (a),-
- (a) in sub-clauses (i) and (ii), the words "or rupees one hundred crore, whichever is lower", shall be omitted;
- (b) in sub-clause (iii), for the words "amounting to ten per cent or more of the net worth of the company or ten per cent or more of turnover of the company or rupees one hundred crore, whichever is lower", the words "amounting to ten per cent or more of the turnover of the company" shall be substituted; and
- (c) in sub-clause (iv), the words "or rupees fifty crore, whichever is lower", shall be omitted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

Joint Secretary to the Government of India

**Note.** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number

G.S.R. 240(E), dated the  $31^{\rm st}$  March, 2014 and subsequently amended as follows:-

- 1. G.S.R. 398 (E), dated the 12th June, 2014;
- 2. G.S.R. 590 (E), dated the 14th August, 2014;
- 3. G.S.R. 206 (E), dated the 18th March, 2015;
- 4. G.S.R. 971(E), dated the 14th December, 2015;
- 5. G.S.R. 309 (E), dated the 30th March, 2017;
- 6. G.S.R. 880 (E), dated the 13th July, 2017;
- 7. G.S.R. 429 (E), dated the 7th May, 2018; and
- 8. G.S.R. 777 (E) dated the 11th October, 2019.

## [भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

# भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख <sup>18</sup> नवंबर, 2019 सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ) - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 177, धारा 178 और धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के उप-नियम (3) के खंड (क) में,-
  - (क) उप-खंड (i) और (ii) में "अथवा एक सौ करोड़ रुपये, जो भी कम हो," शब्दों का लोप किया जाएगा; और
  - (ख) उप-खंड (iii) में, "कंपनी के निवल मूल्य का दस प्रतिशत या उससे अधिक या कंपनी के व्यापारावर्त का दस प्रतिशत या उससे अधिक या एक सौ करोड़ रुपये, जो भी कम हो" शब्दों के स्थान पर "कंपनी के व्यापारावर्त का दस प्रतिशत या उससे अधिक" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप-खंड (iv) में, "अथवा पचास करोड़ रुपये, जो भी कम हो," शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 1/32/2013-सीएल-V-पार्ट] दे वी उप रेम्स् 1811/19 (के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.240(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए :-

- 1. सा.का.नि 398 (अ), तारीख 12 जून, 2014;
- 2. सा.का.नि 590(अ), तारीख 14 अगस्त, 2014;
- 3. सा.का.नि 206(अ), तारीख 18 मार्च, 2015;
- 4. सा.का.नि 971(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2015;
- 5. सा.का.नि 309(अ), तारीख 30 मार्च, 2017;
- 6. सा.का.नि 880(अ), तारीख 13 जुलाई, 2017;
- 7. सा.का.नि 429(अ), तारीख 07 मई, 2018; और
- 8. सा.का.नि 777(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2019।